WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
MASIK PATRIKA
OCTOBER 2021

Address- **WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY**
BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-2661685**
E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**

Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**

Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**

Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**

Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**

Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**

Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

Shri Sushil Jain

- **Members**

Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
Shri Rakesh Kohli
Shri Trilok Anand
Shri Rajendra Singh
Shri G.C. Sharma
Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

Mr. Manish Kumar

INDEX

- 45th Meeting of the GST Council, Lucknow17th September,
- उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को हाईकोर्ट की बड़ी राहत: जीएसटी ट्रैन जमा करने व टैक्स क्रेडिट लेने का मिला मौका, (26-09-2021)
- उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से तीन उद्योगों को राज्य पुरस्कार
- औद्योगिक क्षेत्र को निर्बाध बिजली के लिए बनेगा नया सब स्टेशन
- एफडीआई के लिए जल्द सिंगल विंडो सिस्टम, बढ़ेंगे रोजगार के मौके
- वाणिज्य मंत्रालय सख्त: छह अक्तूबर से कोड अपडेट कराए बिना आयात-निर्यात नहीं कर सकेंगे कारोबारी
- उद्योग को मिलेगी ताकत: एमएसएमई को 31 मार्च तक मिलेगा गारंटी वाला कर्ज
- पुराने आवंटियों को इकाई लगाने के लिए मिलेगा एक ओर साल
- अब एक वैगन से भी माल भेज सकेंगे उद्यमी
- सरकार ने लाखों टैक्सपेयर्स को दी राहत, ई-रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन नियमों को बनाया आसान
- नए टैक्स से बढ़ेगा आम आदमी पर भार
- सस्ता कर्ज पाने के लिए ऐसे सुधारें क्रेडिट स्कोर, कई बैंक इस आधार पर करते हैं कर्ज की पेशकश
- नया नियम लागू: अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खुद से नहीं काटेंगे आपके पैसे, पूछकर ही होंगी पेमेंट
- श्रम संहिताओं को चालू वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना नहीं
- जन शिकायतों की होगी अब हर दिन सुनवाई: नगर आयुक्त
- शिकायत है तो छावनी पोर्टल में दर्ज कराएं व्यापारी: कैंट
- अध्ययन: बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण 9 साल घट सकती है 40 फीसदी भारतीयों की उम्र
- कैबिनेट के फैसले

45^{th} Meeting of the GST Council, Lucknow
17^{th} September, 2021

The GST Council's 45^{th} meeting was held on Lucknow under the chairmanship of the Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman. The GST Council has *inter-alia* made the following recommendations relating to changes in GST rates on supply of goods and services and changes related to GST law and procedure:

I. Recommendations relating to GST rates on goods and services

A. COVID-19 relief measure in form of GST rate concessions

1. Extension of existing concessional GST rates (currently valid till 30^{th} September, 2021) on following Covid-19 treatment drugs, up to 31^{st} December, 2021, namely-

i. Amphotericin B -nil
ii. Remdesivir – 5%
iii. Tocilizumab -nil
iv. Anti-coagulants like Heparin – 5%

2. Reduction of GST rate to 5% on more Covid-19 treatment drugs, up to 31^{st} December, 2021, namely-

i. Itolizumab
ii. Posaconazole
iii. Infliximab
iv. Favipiravir
v. Casirivimab & Imdevimab
vi. 2-Deoxy-D-Glucose
vii. Bamlanivimab & Etesevimab

B. Major recommendations on GST rate changes in relation to Goods [w.e.f 1.10.2021 unlessotherwise stated]

S. No.	Description	From	To
GST rate changes			
1.	Retro fitment kits for vehicles used by the disabled	Appl. rate	5%

S. No.	Description	From	To
2.	Fortified Rice Kernels for schemes like ICDS etc.	18%	5%
3.	Medicine Keytruda for treatment of cancer	12%	5%
4.	Biodiesel supplied to OMCs for blending with Diesel	12%	5%
5.	Ores and concentrates of metals such as iron, copper, aluminum, zinc and few others	5%	18%
6.	Specified Renewable Energy Devices and parts	5%	12%
7.	Cartons, boxes, bags, packing containers of paper etc.	12%/18%	18%
8.	Waste and scrap of polyurethanes and other plastics	5%	18%
9.	All kinds of pens	12%/18%	18%
10.	Railway parts, locomotives & other goods in Chapter 86	12%	18%
11.	Miscellaneous goods of paper like cards, catalogue, printed material (Chapter 49 of tariff)	12%	18%
12.	IGST on import of medicines for personal use, namely i. *Zolgensma* for Spinal Muscular Atrophy ii. *Viltepso* for Duchenne Muscular Dystrophy iii. Other medicines used in treatment of muscular atrophy recommended by Ministry of Health and Family Welfare and Department of Pharmaceuticals.	12%	Nil
13.	IGST exemption on goods supplied at Indo-Bangladesh Border *haats*	Appl. rate	Nil
14.	Unintended waste generated during the production of fish meal except for Fish Oil	Nil (for the period 1.7.2017 30.9.2019)	

C. Other changes relating to GST rates on goods

1. Supply of mentha oil from unregistered person has been brought under reverse charge. Further, Council has also recommended that exports of Mentha oil should be allowed only against LUT and consequential refund of input tax credit.

2. Brick kilns would be brought under special composition scheme with threshold limit of Rs. 20 lakhs, with effect from 1.4.2022. Bricks would attract GST at the rate of 6% without ITC under the scheme. GST rate of 12% with ITC would otherwise apply to bricks.

D. Correction in Inverted Duty structure in Footwear and Textiles sector

GST rate changes in order to correct inverted duty structure, in footwear and textiles sector, as was discussed in earlier GST Council Meeting and was deferred for an appropriate time, will be implemented with effect from 01.01.2022.

E. In terms of the recent directions of the Hon'ble High Court of Kerala, the issue of whether specified petroleum products should be brought within the ambit of GST was placed for consideration before the Council. After due deliberation, the Council was of the view that it is not appropriate to do so at this stage.

F. Major GST changes in relation to rates and scope of exemption on Services [w.e.f 1.10.2021 unless otherwise stated]

No.	Description	From	To
1.	Validity of GST exemption on transport of goods by vessel and air from India to outside India is extended upto 30.9.2022.	-	Nil
2.	Services by way of grant of National Permit to goods carriages on payment of fee	18%	Nil
3.	Skill Training for which Government bears 75% or more of the expenditure [presently exemption applies only if Govt funds 100%].	18%	Nil
4.	Services related to AFC Women's Asia Cup 2022.	18%	Nil
5.	Licensing services/ the right to broadcast and show original films, sound recordings, Radio and Television programmers [to bring parity between distribution and licensing services]	12%	18%
6.	Printing and reproduction services of recorded media where content is supplied by the publisher (to bring it on parity with *Colour printing of images from film or digital media*)	12%	18%
7.	Exemption on leasing of rolling stock by IRFC to Indian Railways withdrawn.		
8.	E Commerce Operators are being made liable to pay tax on following services provided through them (i) transport of passengers, by any type of motor vehicles through it [w.e.f. 1st January, 2022] (ii) restaurant services provided through it with some exceptions [w.e.f. 1st January, 2022]		
9.	Certain relaxations have been made in conditions relating to IGST exemption relating to import of goods on lease, where GST is paid on the lease amount, so as to allow this		

exemption even if (i) such goods are transferred to a new lessee in India upon expiry or termination of lease; and (ii) the lessor located in SEZ pays GST under forward charge.

G. Clarification in relation to GST rate on Goods

1. Pure henna powder and paste, having no additives, attract 5% GST rate under Chapter 14.
2. Brewers' Spent Grain (BSG), Dried Distillers' Grains with Soluble [DDGS] and other such residues, falling under HS code 2303 attract GST at the rate of 5%.
3. All laboratory reagents and other goods falling under heading 3822 attract GST at the rate of 12%.
4. Scented sweet supari and flavored and coated illachi falling under heading 2106 attract GST at the rate of 18%
5. Carbonated Fruit Beverages of Fruit Drink" and "Carbonated Beverages with Fruit Juice" attract GST rate of 28% and Cess of 12%. This is being prescribed specifically in the GST rate schedule.
6. Tamarind seeds fall under heading 1209, and hitherto attracted nil rate irrespective of use. However, henceforth they would attract 5% GST rate (w.e.f. 1.10.2021) for use other than sowing. Seeds for sowing will continue at nil rate.
7. External batteries sold along with UPS Systems/ Inverter attract GST rate applicable to batteries [28% for batteries other than lithium-ion battery] while UPS/inverter would attract 18%.
8. GST on specified Renewable Energy Projects can be paid in terms of the 70:30 ratio for goods and services, respectively, during the period from 1.7.2017 to 31.12.2018, in the same manner as has been prescribed for the period on or after 1st January 2019.
9. Due to ambiguity in the applicable rate of GST on Fibre Drums, the supplies made at 12% GST in the past have been regularised. Henceforth, a uniform GST rate of 18% would apply to all paper and paper board containers, whether corrugated or non-corrugated.
10. Distinction between fresh and dried fruits and nuts is being clarified for application of GST rate of "nil" and 5%/12% respectively;
11. It is being clarified that all pharmaceutical goods falling under heading 3006 attract GST at the rate of 12% [not 18%].
12. Essentiality certificate issued by Directorate General of Hydrocarbons on imports would suffice; no need for taking a certificate every time on inter-state stock transfer.

H.Clarification in relation to GST rate on Services

13. Coaching services to students provided by coaching institutions and NGOs under the central sector scheme of 'Scholarships for students with Disabilities" is exempt from GST
14. Services by cloud kitchens/central kitchens are covered under 'restaurant service', and attract 5% GST [without ITC].
15. Ice cream parlor sells already manufactured ice- cream. Such supply of ice cream by parlors would attract GST at the rate of 18%.
16. Overloading charges at toll plaza are exempt from GST being akin to toll.
17. The renting of vehicle by State Transport Undertakings and Local Authorities is covered by expression 'giving on hire' for the purposes of GST exemption
18. The services by way of grant of mineral exploration and mining rights attracted GST rate of 18% w.e.f. 01.07.2017.
19. Admission to amusement parks having rides etc. attracts GST rate of 18%. The GST rate of 28% applies only to admission to such facilities that have casinos etc.
20. Alcoholic liquor for human consumption is not food and food products for the purpose of the entry prescribing 5% GST rate on job work services in relation to food and food products.

II. On the issue of compensation scenario, a presentation was made to the Council wherein it was brought out that the revenue collections from Compensation Cess in the period beyond June 2022 till April 2026 would be exhausted in repayment of borrowings and debt servicing made to bridge the gap in 2020-21 and 2021-22. In this context various options, as have been recommended by various committees/ forums were presented. The Council deliberated at length on the issue. The Council decided to set up a GoM to examine the issue of correction of inverted duty structure for major sectors; rationalize the rates and review exemptions from the point of view of revenue augmentation, from GST. It was also decided to set up a GoM to discuss ways and means of using technology to further improve compliance including monitoring through improved e-way bill systems, e-invoices, FASTag data and strengthening the institutional mechanism for sharing of intelligence and coordinated enforcement actions by the Centre and the States.

III. Recommendations relating to GST law and procedure

I. Measures for Trade facilitation:

1. Relaxation in the requirement of filing FORM GST ITC-04

Requirement of filing **FORM GST ITC-04** under rule 45 (3) of the CGST Rules has been relaxed as under:

a. Taxpayers whose annual aggregate turnover in preceding financial year is above Rs. 5 crores shall furnish ITC-04 once in six months;
b. Taxpayers whose annual aggregate turnover in preceding financial year is upto Rs. 5 crores shall furnish ITC-04 annually.

2. In the spirit of earlier Council decision that interest is to be charged **only** in respect of net cash liability, section 50 (3) of the CGST Act to be amended retrospectively, w.e.f. 01.07.2017, to provide that interest is to be paid by a taxpayer on "**ineligible ITC availed and utilized**" and not on "ineligible ITC availed". It has also been decided that interest in such cases should be charged on ineligible ITC **availed and utilized** at 18%w.e.f. 01.07.2017.

3. Unutilized balance in CGST and IGST cash ledger may be allowed to be transferred between distinct persons (entities having same PAN but registered in different states), without going through the refund procedure, subject to certain safeguards.

4. Issuance of the following circulars in order to remove ambiguity and legal disputes on various issues, thus benefiting taxpayers at large:

a. **Clarification on scope of "intermediary services"**;
b. **Clarification relating to interpretation of the term "merely establishment of distinct person" in condition (v) of the Section 2 (6) of the IGST Act 2017 for export of services.** A person incorporated in India under the Companies Act, 2013 and a person incorporated under the laws of any other country are to be treated as separate legal entities and would not be barred by the condition (v) of the sub-section (6) of the section 2 of the IGST Act 2017 for considering a supply of service as export of services;
c. Clarification in respect of certain GST related issues:
    i. W.e.f. 01.01.2021, the date of issuance of debit note (and not the date of underlying invoice) shall determine the relevant financial year for the purpose of section 16(4) of CGST Act, 2017;

ii. There is no need to carry the physical copy of tax invoice in cases where invoice has been generated by the supplier in the manner prescribed under rule 48(4) of the CGST Rules, 2017;

iii. Only those goods which are actually subjected to export duty i.e., on which some export duty has to be paid at the time of export, will be covered under the restriction imposed under section 54(3) of CGST Act, 2017 from availment of refund of accumulated ITC.

5. **Provision to be incorporated in in CGST Rules, 2017 for removing ambiguity regarding procedure and time limit for filing refund of tax wrongfully paid as specified in section 77(1) of the CGST/SGST Act and section 19(1) of the IGST Act.**

J. Measures for streamlining compliances in GST

1. Aadhaar authentication of registration to be made mandatory for being eligible for filing **refund claim and application for revocation of cancellation of registration**.

2. Late fee for delayed filing of **FORM GSTR-1** to be auto-populated and collected in next open return in **FORM GSTR-3B**.

3. Refund to be disbursed in the bank account, which is linked with same PAN on which registration has been obtained under GST.

4. Rule 59(6) of the CGST Rules to be amended with effect from 01.01.2022 to provide that a registered person shall not be allowed to furnish **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for the preceding month.

5. Rule 36(4) of CGST Rules, 2017 to be amended, once the proposed clause (aa) of section 16(2) of CGST Act, 2017 is notified, to restrict availment of ITC in respect of invoices/ debit notes, to the extent the details of such invoices/ debit notes are furnished by the supplier in **FORM GSTR-1/ IFF and are** communicated to the registered person in **FORM GSTR-2B**.

उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को हाईकोर्ट की बड़ी राहत: जीएसटी ट्रैन जमा करने व टैक्स क्रेडिट लेने का मिला मौका, (26-09-2021)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जीएसटी ट्रैन (फॉर्म) 1 व 2 जमा करने में नाकाम रहे सभी जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 8 सप्ताह के अंदर अपने क्षेत्रीय टैक्स विभाग से संपर्क करने की छूट दी है। साथ ही हाईकोर्ट की शरण में आए सभी याचियों को जीएसटी ट्रैन 1 व 2 इलेक्ट्रॉनिकली जमा करने का उचित अवसर देने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंड पीठ ने मेसर्स रेटेक फियोनफ्रिक्शन टेक्नोलॉजी सहित सैकड़ों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है।

टैक्स विभाग को दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश:

कोर्ट ने कहा है कि सभी याचियों को चार हफ्ते में अपने क्षेत्रीय प्राधिकारियों के समक्ष ट्रैन 1 व 2 व्यक्तिगत रूप से जमा करने की अनुमति दी जाए। साथ ही टैक्स विभाग को जीएसटी कानून की धारा 140 व नियम 117 का अनुपालन कर दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर दो हफ्ते में अनापत्ति (NOC) लीजाए। आपत्ति दाखिल करने का भी सीमित मौका दिया जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया तीन हफ्ते में पूरी कर ली जाए और सभी प्राधिकारी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जीएसटी नेटवर्क को प्रेषित करें।

कार्रवाई पूरी होने के बाद जीएसटी नेटवर्क पर अपलोड करें:

कोर्ट ने कहा है कि कोई भी फॉर्म समय-सीमा बीतने के आधार पर अस्वीकार न किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई पूरी होने के बाद जीएसटी नेटवर्क पर अपलोड करें या याचियों को दो हफ्ते में ट्रैन 1 व 2 अपलोड करने का मौका दें। यह कार्रवाई केवल एक बार के लिए ही की जाएगी। यह विवाद को खत्म करने का समय दिया गया है।, ताकि मुकद्दमे बाजी से निजात मिल सके।

याचिका में उठाए गए अन्य बिंदुओं पर विचार न करते हुए कोर्ट ने तकनीकी खामियों के चलते टैक्स इनपुट जमा न कर पाने वाले कर दाता पंजीकृत व्यापारियों को विवादों के खात्मे का अवसर दिया है।

कोर्ट ने कहा- व्यापारियों को टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार:

कोर्ट ने कहा कि जीएसटी कानून की शर्तों के अधीन व्यापारियों को टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार है। टैक्स प्राधिकारियों को पंजीकृत करदाताओं को अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति

देनी चाहिए। इन्हें अपना दावा करने का उचित अवसर देना चाहिए।

और क्या कहा हाईकोर्ट ने:

- जीएसटी पोर्टल राज्य प्राधिकारियों कीदेन है। उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि पोर्टल ठीक से काम करे।
- बाधित, अनियमित पोर्टल के संचालन का खामियाजा टैक्स पेयर को भुगतने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
- यह समझ से परे है और अब टैक्स करदाताओं से फॉर्म अपलोड करने के प्रयास के साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। यह मनमाना व अतार्किक है।
- कानून में साक्ष्य देने का उपबंध भी नहीं है। 3 अप्रैल 2018 को सर्कुलर जारी कर टैक्स इनपुट जमा करने के प्रयास के सबूत मांगना मनमानापन है व लागू होने योग्य नहीं है।
- टैक्स क्रेडिट की बाधाएं दूर करने की जिम्मेदारी सीबीआईसी की है। व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी ट्रेन जमाकर आईटीसी पाने का अधिकार है। इस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :
303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA
Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubham@ndf.vsnl.net.in

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Shubham Fibres (P) Ltd.)
B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA
Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188
Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से तीन उद्योगों को राज्य पुरस्कार

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने प्रदेश स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में निर्यात के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली औद्योगिक इकाइयों का चयन किया है। इन्हे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में आयोजित वाणिज्य सप्ताह के दौरान 22 सितम्बर को सम्मानित किया गया। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त वीके कौशल ने बताया कि पुरस्कार के लिए गगोल रोड परतापुर स्थित **मैसर्स गुजराल इंडस्ट्रीज** को प्रथम पुरस्कार तथा द्वितीय पुरस्कार के लिए विक्टोरिया पार्क स्थित **मैसर्स स्टेनफोर्ड क्रिकेट इंडस्ट्रीज** का चयन किया गया है। सामान्य श्रेणी में अच्छे निर्यातक के रूप में द्वितीय पुरस्कार के लिए **मैसर्स सारू कॉपर एलाय सेमिस प्राइवेट लिमिटेड** का चयन किया गया है।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

औद्योगिक क्षेत्र को निर्बाध बिजली के लिए बनेगा नया सब स्टेशन

उद्योगों को निर्बाध बिजली सप्लाई करने के लिए विद्युत निगम की कवायद शुरू हो गई है। PVVNL के तहत नगरीय विद्युत वितरण मंडल मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुत जल्द मोहकमपुर-2 नाम से नया सब स्टेशन स्थापित करेगा। इसे रिवैम्प योजना में प्रस्तावित किया गया है। बिजली अफसरों ने सब स्टेशन निर्माण के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। दो स्थानों पर जमीन का बिजली अफसरों ने सर्वे भी कर लिया है। वर्तमान में मोहकमपुर में 33 केवी का एक विद्युत सब स्टेशन है, जिसमे 10 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर स्थापित है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र समेत आसपास के इलाको में तेजी से विकास हो रहा है। इसे देखते हुए रिवैम्प योजना में मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए 33 केवी का एक नया सब स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। इसकी आपूर्ति क्षमता 10 एमवीए होगी। इस सब स्टेशन बनने के बाद मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिजली सप्लाई की कुल क्षमता 30 एमवीए हो जायेगी।

एफडीआई के लिए जल्द सिंगल विंडो सिस्टम, बढ़ेंगे रोजगार के मौके

देश में विदेशी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को दी जाने वाली मंजूरी में तेजी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक निवेशकों को कारोबारी गतिविधियों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे । इससे उद्योग जगत को कारोबारी जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने आसान हो जाएगा। इससे उनको विस्तार करने में मदद मिलेगी, जो देश में रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक ये एक तरह का राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल होगा जो अलग अलग राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा होगा। पोर्टल के स्वरूप को लेकर संबंधित विभागों की कई दौर की बैठकों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुरुआत में इसका सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा बाद में उसकी सफलता के आधार पर देशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

एफडीआई से बढ़ेंगे रोजगार के मौके:

उद्योग जगत का कहना है कि सरकार द्वारा एफडीआई के लिए सिंगल विंडो सिस्टम करने से बड़ा निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही इस फैसले से सभी अहम क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानि डीपीआईआईटी के दायरे में काम करने वाले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में निवेशकों को भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न पूर्व-संचालन अनुमोदनों की पहचान करने और आवेदन की अनुमति देगा। साथ ही इसके माध्यम से पूर्व-निवेश सलाह, लैंड बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही कारोबारी की शुरू से आखिर तक हर तरह की जरूरी सहायता की कोशिश की जाएगी ताकि उन्हें अलग-अलग जगहों पर न भटकना पड़े।

प्रक्रिया समय को कम करना उद्देश्य:

सरकार की कोशिश है कि उद्योग जगत से जुड़े निवेश को मंजूरी की प्रक्रिया में कारोबारी का समय कम से कम लगे ताकि उसका फायदा तुरंत से मिलना शुरू हो जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार आने वाले दिनों में सचिवों का एम्पार्ड ग्रुप भी बनाने पर भी विचार कर रही है ताकि अलग-अलग विभागों और प्रोजेक्टों में निवेश से जुड़े फैसले जल्दी हो सकें।

13 फीसदी बढ़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तवर्ष 2020 में भारत में करीब 50 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया है जो इसके पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 13 फीसदी ज्यादा है। वहीं इस साल की बात की जाए तो अप्रैल से जुलाई तक देश में 20 बिलियन डॉलर एफडीआई आ चुका है। सरकार इस रफ्तार को और बढ़ाना चाहती है। बड़े पैमाने पर देश में एफडीआई आने से अलग अलग क्षेत्रे में रोजगार बढ़ने की भी संभावनाए हैं।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002
Mobile No.: 9737126444, 9837081518
Email: rajendra_2068@yahoo.com
Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

वाणिज्य मंत्रालय सख्त: छह अक्तूबर से कोड अपडेट कराए बिना आयात-निर्यात नहीं कर सकेंगे कारोबारी

वाणिज्य मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे आयातक-निर्यातक जिनके कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए, 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है।

मंत्रालय के मुताबिक, आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।

डीजीएफटी ने गत 8 अगस्त को जारी निर्देश में कहा था कि सभी आईईसी धारकों को इसमें शामिल विवरण हर साल अप्रैल-जून में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट कराना जरूरी है। अगर किसी व्यापारी जिनका आईईसी नंबर 1 जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है, उसे 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

इन व्यापारियों को 5 अक्तूबर तक का समय दिया जा रहा है, इस बीच वे अपने आईईसी नंबर को अपडेट करा सकते हैं।हालांकि, डीजीएफटी के स्थानीय प्राधिकरणों के पास पहले से अप्रूवल के लिए लंबित आवेदनों को इससे छूट दी जाएगी। 6 अक्तूबर के बाद आईईसी को दोबारा सक्रिय कराने के लिए व्यापारियों को डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपडेट होने के बाद इसे दोबारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

उद्योग को मिलेगी ताकत: एमएसएमई को 31 मार्च तक मिलेगा गारंटी वाला कर्ज

महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को राहत देते हुए सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की अवधि और छह महीने यानी 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। योजना के तहत वितरण की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गई है।

वित्तमंत्रालय ने कहा कि विभिन्न उद्योग निकायों और अन्य शेयर धारकों की मांग को देखते हुए ईसीएलजीएस की समय-सीमा 31 मार्च, 2022 या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक (जोभीपहलेहो) बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

इन कंपनियों के लिए बढ़ा दायरा:

- ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 के तहत मौजूदा कर्जदार 29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च, 2021 तक बकाया कुल ऋण का 10 फीसदी तक अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं।
- जिन कंपनियों ने ईसीएलजएस (1.0 या 2.0) के तहत मदद नहीं ली है, वे 31 मार्च, 2021 तक बकाया ऋण का 30 फीसदी तक कर्ज ले सकती हैं।
- ईसीएलजीएस 3.0 के तहत निर्धारित जिन कंपनियों ने योजना का पहले लाभ नहीं उठाया है, वे 31 मार्च, 2021 तक कुल बकाया ऋण का 40 फीसदी तक या 200 करोड़ रुपये कर्ज ले सकती हैं।
- योजना का लाभ उठा चुके मौजूदा कर्जदार इन सीमाओं में अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं। उनकी कर्ज लेने की पात्रता बढ़ गई है क्योंकि समय-सीमा को 29 फरवरी, 2020 से बदलकर 31 मार्च, 2021 किया गया है।

पुराने आवंटियों को इकाई लगाने के लिए मिलेगा एक ओर साल

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जमीन लेने वाले उद्यमियों को भूखंडो के उपयोग के लिए एक साल का ओर समय दिया जाएगा। यह सुविधा उन आवंटियों को मिलेगी, जिन्होंने उत्तरप्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू होने से पहले उद्योग लगाने के लिए भूखंड लिए थे। कोरोना संकट के मददेनज़र यह निर्णय लिया गया है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को रियायती दर पर विकसित प्लॉट मुहैया कराती है। शर्त यह होती है कि जिस औद्योगिक गतिविधियों के लिए जमीन ली गई है, उस उद्यम को पांच साल के भीतर स्थापित कर लेना होगा। प्रदेश के कमोबेश सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में काफी संख्या में ऐसे उद्यमी भी है जिन्होंने यह नीति लागू होने से पहले औद्योगिक भूखंड लिए थे।लेकिन कोरोना संकट समेत तमाम वजहों से अभी तक उद्यम स्थापित नहीं कर सके। प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी ने बताया कि पुराने आवंटियों को एक साल का समय ओर देने के लिए जरुरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ताकि अभी तक अपना उद्यम स्थापित न कर सकने वाले काम पूरा कर सके।

PASWARA GROUP

PASWARA PAPERS LIMITED

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

अब एक वैगन से भी माल भेज सकेंगे उद्यमी

डीजल के दाम बढ़ने के कारण ट्रक से माल ढुलाई महंगी होती जा रही है। रेलवे से उद्यमियों को सेवा प्रदान करते हुए अब एक वैगन में माल ढुलाई की सुविधा प्रदान की है। अभी तक माल ले जाने के लिए पूरा रैक बुक करना होता था। अब एक वैगन में भी माल जा सकेगा।

पहले बुक करना होता था 2500 टन माल:

मालगाड़ी में एक रैक में 42 वैगन होते है। एक वैगन में 62 टन माल आता है। अगर व्यापारियों को कही माल भेजना होता था तो कम से कम 2500 टन माल होना जरुरी होता था। अब व्यापारी 62 टन माल भी भेज सकेंगे। मेरठ से खेल का सामान, बैडशीट, बैंड बाजा, परचून आदि का सामान भारी मात्रा में देश के लगभग हर प्रांत में भेजा जाता है। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक डिंपी गर्ग ने बताया कि माल सुरक्षित पहुँच सके इसके लिए मंडल स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।

सरकार ने लाखों टैक्सपेयर्स को दी राहत, ई-रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन नियमों को बनाया आसान

वित्तमंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) पर करदाताओं (Taxpayers) के रजिस्टर्ड खाते से जमा किये गये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को टैक्सपेयर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के जरिये प्रमाणित माना जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अधिकारी और टैक्स पेयर्स के आमने-सामने आये बिना (फेसलेस) आकलन (Faceless Assesment) कार्यवाही में जमा किये गये रिकॉर्ड के सत्यापन को सरल बनाने को लेकर 6 सितंबर को इनकम टैक्स नियम में बदलाव किये.

मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर विभाग के पोर्टल पर करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के जरिये प्रमाणित माना जाएगा. उसने कहा, जहां कोई व्यक्ति आयकर विभाग के पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते में लॉगइन करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा करता है, यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीसी द्वारा सत्यापित किया गया है.

डिजिटल सिग्नेचर से होगा प्रमाणित:

मंत्रालय ने कहा कि यह सरलीकृत प्रक्रिया कंपनियों या कर ऑडिट मामलों के लिए भी उपलब्ध होगी और उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करना अनिवार्य है. इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय पर लाए जाएंगे.

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

नए टैक्स से बढ़ेगा आम आदमी पर भार

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को अक्टूबर तक निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सरकारी जमीन की दर निर्धारण में तेजी लाने, कॉरिडोर के आस-पास विकास करके आय का जरिया बनाने के लिए शासनादेश दिसंबर तक जारी करने करने के निर्देश दिए है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर्स से सर्वे कराया गया था। चार बदलावों पर मुख्यमंत्री जी के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसमें स्टांप ड्यूटी बढ़ाने, भूमि बदलाव शुल्क, अतिरिक्त एएफआर, अतिरिक्त विकास शुल्क को रखा गया। इसमें से अतिरिक्त एएफआर, अतिरिक्त विकासशुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क पर लखनऊ में चर्चा की गई। इन सभी नए टैक्स को महायोजना-2031 में चिन्हित स्थानों के फाइनल होने के बाद लागू किया जाएगा। बैठक में NCRTC अधिकारियों ने बताया कि साहिबाबाद से दुहाई, जिसकी कुल लम्बाई 17 किलोमीटर है, को मार्च में 2023 में चालू किया जाएगा और पूरी परियोजना को 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

प्रभावित इलाके हुए चिन्हित:

महायोजना-2031 में रैपिड रेल से प्रभावित इलाको को चिन्हित कर दिया गया है।रैपिड रेल स्टेशनो के 500-500 मीटर दूरी के स्थानों पर जमीनों पर वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग नीति के तहत कर लगाए जाएंगे।

ये लगाए जाएंगे टैक्स:

•अतिरिक्त विकास शुल्क:

मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त विकास शुल्क 1200 रूपये प्रति वर्ग मीटर है। इसे अब 25 प्रतिशत ओर बढ़ाने की तैयारी है। इससे जो आय होगी 50-50 प्रतिशत NCRTC और प्राधिकरण को मिलेगा।वहीं किसी भी बिल्डिंग या टाउनशिप के बाहर होने वाले विकास के लिए अतिरिक्त विकास शुल्क लिया जाता है।

•निर्माण के दायरे में चार्ज:

कुल निर्माण फ्लोर एरिया और लैंड एरिया के बीच के औसत को फ्लोर एरिया औसत कहते है। इसमें अगर फ्लोर एरिया औसत 2.5 है, इसके बाद आप बढ़ाना चाहते है तो इसका अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसमें भी प्राधिकरण और रैपिड रेल की हिस्सेदारी होगी।

सस्ता कर्ज पाने के लिए ऐसे सुधारें क्रेडिट स्कोर, कई बैंक इस आधार पर करते हैं कर्ज की पेशकश

एसबीआई समेत कई बैंकों ने होमलोन सहित अन्य लोन को क्रेडिट स्कोर से लिंक कर दिया है। इसका मतलब है कि बैंक आपको लोन देने से पहले आपके क्रेडिट स्कोर की जांच करेंगे। यह जितना ऊंचा होगा, लोन उतनी आसानी से और सस्ता मिल सकेगा।

दरअसल, क्रेडिट स्कोर किसी व्यक्ति के कर्ज इतिहास को दर्शाता है। इसमें किसी व्यक्ति के पास मौजूद क्रेडिट अकाउंट की संख्या, कुल कर्ज, भुगतान हिस्ट्री और लोन के लिए उधारकर्ता की ओर से की गई पूछताछ का जिक्र होता है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। इसका 700 से ऊपर रहना अच्छा माना जाता है। बैंक क्रेडिट स्कोर के जरिए लोन लेने वाले व्यक्ति की भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। लोन आवेदन स्वीकृत कर ना है या नहीं, इसका फैसला क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही किया जाता है। खराब क्रेडिट स्कोर से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल होती है। चार तरीके हैं, जिनकी मदद से आप अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर कर सकते हैं।

सीयूआर :खर्च न करें 30 फीसदी से ज्यादा

क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो (सीयूआर) क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट और खर्च का अनुपात होता है। अगर एक महीने में क्रेडिट कार्ड की सीमा का 30 फीसदी से ज्यादा खर्च किया है, तो क्रेडिट स्कोर खराब होता है। इसे सुधारने के लिए क्रेडिट कार्ड से कम खर्च करें या दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करें।

पूरे कर्ज का करें भुगतान:

क्रेडिट कार्ड बिल या लोन ईएमआई का पूरा भुगतान नहीं करते हैं, तो कर्ज बढ़ता जाता है। इससे डेट टू इनकम अनुपात बढ़ता है, जिसका असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। भुगतान में देरी पर भी क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि तय समय पर सभी भुगतान करते रहें।

कई बैंकों में आवेदन से बचें:

कम ब्याज पर लोन पाने या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लोग अलग-अलग बैंकों में आवेदन कर देते हैं। इस से भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। इसलिए ऐसा करने में बचें। इसके अलावा, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के लोन गारंटर हैं और वह बकाया चुकाने में चूक कर रहा है या समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा है तो इसका असर भी आपके क्रेडिट स्कोर पर जरूर पड़ता है।

क्रेडिट रिपोर्ट की जांच जरूरी:

क्रेडिट ब्यूरो क्रेडिट स्कोर की गणना करते समय वर्तमान बकाया लोन, पिछले क्रेडिट खाते, ईएमआई भुगतान, नए लोन और क्रेडिट कार्ड आवेदन से जुड़े डाटा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कर्जदाता की ओर से लिखा पढ़ी से जुड़ी कोई भी गलती क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए अपने क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करते रहना चाहिए। कुछ गड़बड़ होने पर इसे जल्द ठीक कराना चाहिए।

क्रेडिट स्कोर खराब होने की वजह जानना जरूरी:

क्रेडिट स्कोर 750 या इससे ज्यादा होने पर लोन की संभावना बढ़ जाती है और आकर्षक ब्याज दर भी मिल सकती है। कम क्रेडिट स्कोर वालों को इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए स्कोर खराब होने की वजह जानना जरूरी है। क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401
Phone No.: 01233-271137
Email: sales@sangalpapers.com
Website: www.sangalpapers.com

नया नियम लागू: अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खुद से नहीं काटेंगे आपके पैसे, पूछकर ही होंगी पेमेंट

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाले ऑटो डेबिट सिस्टम की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी। यानी अब से देश में ऑटो-डेबिट लेनदेन में बदलाव हो गया है।

क्या है नया नियम?

इस नियम के तहत अक्तूबर से बैंकों को ऑटो-डेबिट भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। भुगतान केवल तभी हो पाएगा, जब ग्राहक मंजूरी देगा। इसके अलावा, अगर भुगतान रकम 5,000 रुपये से ज्यादा है तो बैंक ग्राहक को ओटीपी भी भेजेगा।

आसान भाषा में समझें, तो अक्तूबर से नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने के बाद बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार ग्राहकों से उनकी अनुमति लेनी होगी। इसकी मंजूरी के बाद ही पैसे काटे जाएंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके मोबाइल नंबर का बैंक में अपडेट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा।

पहले 31 मार्च 2021 थी अंतिम तिथि:

पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। यानी एक अप्रैल 2021 से इस सिस्टम में बदलाव होना था। बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले तमाम प्लेटफॉर्म मांग कर रहे थे कि नए व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। केंद्रीय बैंक ने ये तारीख इसलिए बढ़ाई ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो।

क्यों हो रहा है बदलाव?

मौजूदा समय में ज्यादातर लोग अपने मोबाइल, पानी का बिल, आदि के बिलों को ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं। यानी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी के खाते से पैसे काट लेते हैं। इससे फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ते फ्रॉड के मद्देनजर यह बदलाव किया जा रहा है।

प्रभावित होंगे करोड़ों ग्राहक:

नए नियम लागू होने से करोड़ों ग्राहक प्रभावित होंगे। हालांकि, यूपीआई के ऑटोपे सिस्टम से ऐसे ऑटो-डेबिट भुगतान पर कोई असर नहीं होगा। बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस नए नियम के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है। देश के बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों ऑटो डेबिट नियम के बार में सूचित किया है।

श्रम संहिताओं को चालू वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना नहीं

राज्यों द्वारा नियमों का मसौदा बनाने में देरी के चलते चार श्रम संहिताओं का चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन मुश्किल नजर आ रहा है।
सूत्रों की माने तो श्रम संहिताओं को लागू करने में देरी की एक और वजह राजनीतिक मसलन उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाव भी है।

इन कानूनों का कार्यान्वयन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनके लागू होते ही कर्मचारियों के हाथ में आनेवाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों को ऊंचे भविष्यनिधि दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा।

श्रम मंत्रालय चार संहिताओं के तहत नियमों के साथ तैयार है। लेकिन राज्य नई संहिताओं के तहत इन नियमों को अंतिम रूप देने में सुस्त हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी राजनीतिक कारणों से इन संहिताओं को अभी लागू नहीं करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सरकार अभी इन संहिताओं को लागू नहीं करना चाहती है।

संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है। लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही इन्हें संबंधित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। सूत्र ने स्पष्ट किया कि इन संहिताओं को चालू वित्तवर्ष में लागू करना संभव नहीं है।

एक बार ये संहिताएं लागू होने के बाद मूल वेतन और भविष्यनिधि (पीएफ) की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा ।

श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता को एक अप्रैल, 2021 से लागू करना था। इन चार संहिताओं से 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत किया जा सकेगा।

मंत्रालय ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन कई राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं हैं ऐसे में इनका कार्यान्वयन अभी संभव नहीं है।

कुछ राज्यों ने चार श्रम संहिताओं के नियमों के मसौदे पर काम किया है। इनमें उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं।

नयी वेतन संहिता के तहत भत्तों की सीमा 50 प्रतिशत होगी। इस का मतलब है कि कुल वेतन का आधा कर्मचारियों का मूल वेतन होगा।भविष्यनिधि योगदान की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के हिसाब से की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है।

जन शिकायतों की होगी अब हर दिन सुनवाई: नगर आयुक्त

नगर निगम में यदि किसी विभाग के संबंध में आपको कोई शिकायत है तो अब निर्धारित दिनों में जाकर निस्तारण कराए। सोमवार से शनिवार तक हर दिन अब संबंधित अधिकारी शिकायतों को सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे।

नगर आयुक्त ने सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक हर दिन शिकायतों को सुनने और उनके निस्तारण की व्यवस्था बनाई है।

व्यवस्था समय सारणी:

दिन	अधिकारी	विभाग
सोमवार	जीएम (जल), एई	जल-कल
मंगलवार	नगर विकास अधिकारी	स्वास्थ्य विभाग
	मुख्य अभियंता	निर्माण विभाग
बुधवार	कर निर्धारण अधिकारी	हाउस टैक्स
गुरुवार	सहायक	नगर आयुक्त
	एक्सईएन निर्माण	निर्माण विभाग
शुक्रवार	अपर नगर आयुक्त, कर अधिकारी	हाउस टैक्स
शनिवार	सहायक नगर आयुक्त, निरीक्षक	मार्ग प्रकाश

शिकायत है तो छावनी पोर्टल में दर्ज कराएं व्यापारी: कैंट

कैंट के व्यापारी यूजर चार्ज को लेकर विरोध कर रहे है, लेकिन लिखित और रक्षा मंत्रालय की ओर से तैयार ई-छावनी पोर्टल पर किसी व्यापारी ने शिकायत नहीं की है। सीईओ कैंट बोर्ड नवेंद्र नाथ जी का कहना है कि यदि किसी को भी शिकायत है तो सरकार की ओर से बनाई गई छावनी पोर्टल पर शिकायत करे। शिकायत का निस्तारण किया जाएगा।

कैंट बोर्ड की ओर से यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस को लेकर लगातार कवायद की जा रही है। कैंट बोर्ड का मानना है कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज कोई नया नहीं है। 2019 से वसूली की जा रही है। 2020-21 में 12.50 लाख से अधिक रूपये कैंट के लोगो ने जमा किए। अब भी 10 हजार रूपये से अधिक यूजर चार्ज जमा हो रहा है। यह यूजर चार्ज कैंट बोर्ड की ओर से पास करके लगाया गया है। इसी तरह ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय केआदेश पर बोर्ड से पास होने के बाद लागू की गई है।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

अध्ययन: बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण 9 साल घट सकती है 40 फीसदी भारतीयों की उम्र

भारत में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है। इसका असर भारतीयों की उम्र पर भी पड़ रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (ईपीआईसी) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से 40 फीसदी भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल से ज्यादा कम हो सकती है।

48 करोड़ से ज्यादा लोग मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत में झेल रहे हैं वायु प्रदूषण का उच्चस्तर:

वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (एक्यूएलआई) के मुताबिक भारत में समय के साथ भौगोलिक रूप से वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता काफी तेजी से खराब हुई है। मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहने वाले 48 करोड़ से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के जिस उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं, वैसा कोई अन्य देश नहीं कर रहा है।

रिपोर्ट में भारत के एनसीएपी कार्यक्रम की सराहना, 1.7 वर्ष बढ़ जाएगी जीवन प्रत्याशा:

रिपोर्ट में खतरनाक प्रदूषण स्तर पर लगाम लगाने के लिए 2019 में शुरू किए गए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की सराहना करते हुए कहा गया है कि इसके लक्ष्य को पाने और बनाए रखने से देश की समग्र जीवन प्रत्याशा 1.7 वर्ष और नई दिल्ली की 3.1 वर्ष बढ़ जाएगी। एनसीएपी का उद्देश्य औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों के प्रदूषण में कटौती सुनिश्चित कर परिवहन एवं बायोमास जलाने के लिए नियमों को कड़ा बनाना है। साथ ही धूल प्रदूषण को 2024 तक 102 सबसे अधिक प्रभावित शहरों में प्रदूषण को 20 से 30 फीसदी तक कम करना है।

जब दिल्ली वालों ने ली स्वच्छ हवा में सांस:

बढ़ते प्रदूषण का स्तर जानने के लिए आईक्यू एयर ने 2020 में विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी की है। इसमें दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। हालांकि पिछले साल महामारी के कारण लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों से कई शहरों के प्रदूषण स्तर में गिरावट देखने को मिली थी इस दौरान दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने गर्मियों में सबसे स्वच्छ हवा में सांस ली थी । हालांकि सर्दियों में पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली के कारण जहरीली हवा से जूझना पड़ा था।

गंगा घाटी के इलाकों तक ही सीमित नहीं प्रदूषण:

रिपोर्ट के मुताबिक दो दशक पहले के मुकाबले प्रदूषण सिर्फ गंगाघाटी तक ही सीमित नहीं रह गया है। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, वहां के निवासियों की औसत जीवन प्रत्याशा में वर्ष 2000 के मुकाबले अतिरिक्त 2.5 से 2.9 वर्ष की कमी हो रही है।

इन देशों में भी भयावह स्थिति:

दक्षिण एशिया में पृथ्वी के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान है। यहां विश्व की करीब एक चौथाई आबादी रहती है।ये लगातार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शीर्ष 5 देशों में बने हुए हैं।

5.4 साल बढ़ाई जा सकती है उम्र:

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप प्रदूषण कम किया जा सकता है, तो औसत जीवन प्रत्याशा 5.4 वर्ष बढ़ सकती है। ईपीआईसी का कहना है कि 2019 के दौरान भारत में हवा में प्रदूषणकारी सूक्ष्म कणों की मौजूदगी औसतन 70.3 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी, जो दुनिया में सर्वाधिक और डब्ल्यूएचओ के 10 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से 7 गुना ज्यादा है।

सरकारें गंभीर, हर मोर्चे पर ठोस नीतियां जरूरी:

वायु प्रदूषण का सर्वाधिक असर दक्षिण एशिया में है। हालांकि क्षेत्र की सरकारें अब समस्या की गंभीरता समझ रही हैं। उसके निदान के लिए काम शुरू कर रही है। साफ हवा वह लंबी जिंदगी के लिए भारत का एनसीएपीवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन महत्वपूर्ण कदम है। जीवाश्म ईंधन वैश्विक समस्या है। इसके लिए ठोस नीतियों की जरूरत है। -**केनली, निदेशक, एक्यूएलआई**

कैबिनेट के फैसले

1- ले-आउट के आधार पर देना पड़ेगा सिटी डेवलपमेंट चार्ज:

इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में अब बिल्डरो को लेआउट के आधार पर डवलपमेंट चार्ज देना होगा। इसके लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप नियमावली-2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

आवास विकास प्रदेश के शहरी क्षेत्रो में लोगो को आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति लेकर आया। इस नीति के आधार पर निजी क्षेत्रो में आवासीय योजनाए विकसित करने वालो को लाइसेंस

दिया गया। नीति और नियमावली में सिटी डेवलपमेंट चार्ज को लेकर विरोधाभास था।

नीति में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर सिटी डवलपमेंट चार्ज लेने की व्यवस्था की गई, जबकि वर्ष 2014 में जारी नियमावली में लेआउट के आधार पर इसे लेने की व्यवस्था की गई। इसको लेकर बिल्डरों को परेशानी हो रही थी और वे सिटी डवलपमेंट चार्ज जमा नहीं कर रहे थे। आवास विभाग ने इसलिए इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसे मंजूर कर दिया गया है।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने वालो से सिटी डेवलपमेंट चार्ज इस आधार पर लिया जाता है कि उनकी कॉलोनियां बनने से शहरों में नागरिक सुविधाएं देने पर भार पड़ता है। इस भार पर आने वाला खर्च विकास प्राधिकरणों को उठाना पड़ता है। इसीलिए सिटी डवलपमेंट चार्ज लेकर नागरिक सुविधाएं विकसित की जाती है।

2- निजी बिल्डरों के ईडब्ल्यूएस मकान की रजिस्ट्री 500 रूपये के स्टाम्प पर:

राज्य सरकार ने शहरों में निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकान को लेने वालो को बड़ी राहत दी है। इन मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रूपये के स्टांप पेपर पर होगी।
यह लाभ निजी विकासकर्ताओं द्वारा शासनादेश 5 दिसंबर 2013 की व्यवस्था के अंतर्गत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों पर मिलेगी। आवास आयुक्त आवास विकास परिषद, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विहित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के अधिकारी द्वारा लिखित तथ्य पुष्टि करने के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर के बाद ही लाभ दिया जाएगा।

3- पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलेगी चिकित्सा सुविधा, विकलांगता में मदद:

प्रदेश सरकार ने तय किया है कि उन श्रमिकों व कारीगरों को ही चिकित्सा सुविधा व विकलांगता में मदद व बीमा की सुविधा का लाभ मिलेगा जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान जन आरोग्य योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएंगे।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 4.5 करोड़ श्रमिकों व कारीगरों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि शत प्रतिशत अपंगता या मृत्यु होने पर 2 लाख, 50 प्रतिशत अपंगता पर 1 लाख और 25 से 50 प्रतिशत की अपंगता पर 50 हजार रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा आयुष्मान जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रूपये के बीमे की भी सुविधा मिलेगी।

4- 17 बस अड्डों को विकसित करने की प्रक्रिया बदली:

प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने के लिए पहले चरण में 17 बस अड्डों के विकास के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में नौ बदलाव किए है।

XXXXXXXXXXXXXXXX